SAMAGRA SHIKSHA
सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा

ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल का कार्यतंत्र

By

Dr. Ashok Jangir

ACBEO-2

Chief Block Education Office, Taranagar Churu

AIMS & OBJECTIVES

भारत सरकार द्वारा सत्र 2018–19 से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (RMSA, SSA and TE) को एकीकृत कर समग्र शिक्षा अभियान (SMSA) का संचालन किया जा रहा है।

SMSA= RMSA+SSA=TE

भारत सरकार के दिनांक 03.04.2018 के आदेशानुसार SMSA का क्रियान्वयन Single State Implementation Society (SIS) के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद' (RCSCE) का गठन दिनांक 24.05.2018 के आदेश द्वारा किया जा चूका है।

इस नवीन पुर्नगठित व्यवस्था के अनुसार 'राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद' (RCSCE) पूरे राज्य में समग्र स्कूल शिक्षा (पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 12 तक) एवं समग्र शिक्षा अभियान (SMSA) से सम्बंधित Plannng, Implementation and Monitoring हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी संस्था है।

राज्य स्तर पर पुर्नगठन के पश्चात राज्य में शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तर के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ करने के लिए वर्तमान संचालित ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तर के कार्यालयों का पुनर्गठन कर एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई है।

ब्लॉक स्तर पर एकीकृत शिक्षा संकुल की स्थापना निम्नानुसार की गई है।

Chief Block Education Officer cum BRCF

CBEO sub Office

Account cell
- सहायक लेखा अधिकारी–1
- कनि. लेखाकार–1
- कनि. अभियन्ता–1
- कनि. सहायक–1

Estt. cell
- सहायक प्रशासनिक अधिकारी–1
- सहायक कर्मचारी–1
- सहायक कर्मचारी–1
- एमआईएस–1

RP CWSN-2

BEEO cum ACBEO-1 sub Office

BEEO cum ACBEO -1

- संदर्भ व्यक्ति
- वरि. सहायक –1
- सहायक कर्मचारी–1
- एमआईएस–1
- प्रधानाध्यापक शहरी प्राशि विद्यालय

PEEO& All HM Principals

ACBEO -2 Sub Office

ACBEO -2

- संदर्भ व्यक्ति
- वरि. सहायक –1
- सहायक कर्मचारी–1
- एमआईएस–1

राज्य मद

समसा मद

CBEO cum BRCF

कार्य एवं दायित्व (Job and responsibility)

1. संस्थापन (Establishment)

➢ **कार्यालयाध्यक्ष, आहरण वितरण एवं नियन्त्रण अधिकारी–**

ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल कार्यालय एवं कार्यालय के समस्त कार्मिकों के कार्यालय अध्यक्ष, आहरण वितरण अधिकारी एवं नियन्त्रण अधिकारी होगें।

➢ **सेवाभिलेखों का संधारण–**

ब्लॉक के समस्त पीईईओ एवं माध्य/उमावि के संस्थाप्रधानों के सेवाभिलेखों का संधारण, समस्त प्रकार के अवकाश स्वीकृति, वेतन वृद्धि के लिए सक्षम प्राधिकारी होगें।

➢ **एसीपी एवं स्थायीकरण के प्रस्ताव–**

- ब्लॉक के समस्त पीईईओ, माध्य/उमावि के संस्थाप्रधानों एवं व्याख्याताओं के एसीपी एवं स्थायीकरण प्रस्ताव तैयार कर सीधे ही निदेशक महोदय को प्रेषित करेंगे।
- ब्लॉक के समस्त तृतीय श्रेणी कार्मिक (शिक्षकों, पुस्तकालयाक्ष्य, शाशि, प्रयोगशाला सहायक), कनि. सहायक, प्रयोगशाला सेवक, जमादार एवं च.श्रे कर्मचारियों के एसीपी एवं स्थायीकरण प्रकरण संबधित डीडीओ से प्राप्त कर सीधे ही संबंधित जिलाशिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्राशि/माशि प्रेषित करेंगे।
- उक्त कार्मिक के अलावा ब्लॉक में कार्यारत अन्य सभी शैक्षणिक/मंत्रालिक/गैर शैक्षणिक कार्मिको के एसीपी एवं स्थायीकरण प्रकरण संबधित डीडीओ से प्राप्त कर सीधे ही सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे।

➢ **सेवानिवृति एवं पेंशन प्रकरण–**

ब्लॉक के समस्त शैक्षणिक/मंत्रालिक/गैर शैक्षणिक कार्मिको के सेवानिवृति एवं पेंशन संबधी प्रकरण संबंधित डीडीओ से तैयार करवाकर प्राप्त करेंगें एवं स्वीकृति हेतु पेंशन विभाग प्रेषित करेंगे।

➢ **अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरण एवं वेतन स्थिरीकरण प्रकरण –**

ब्लॉक के समस्त कार्मिको के उक्त दोनों प्रकार के प्रकरण संबंधित डीडीओ से तैयार करवाकर संबंधित जिलाशिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्राशि/माशि प्रेषित करेंगे।

CBEO cum BRCF

2. प्रशासनिक (Administrative)

❖ प्रभारी अधिकारी (Officer Incharge)–

संबंधित ब्लॉक के स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान (समसा) के प्रभारी अधिकारी होगें।

❖ नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण (Controll and Supervision) -

ब्लॉक के समस्त पीईईओ एवं माध्य/उमावि के संस्थाप्रधान, ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल के कार्मिक सीबीईओ के प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य संपादित करेंगे।

❖ अनुवीक्षण (Monitoring) -

➢ **By BEEO cum ACBEO-1**

समस्त PEEO हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11.04.2017 द्वारा जारी दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाना।
विद्यालय अवलोकन के संबध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.05.2017 द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाना।

➢ **By ACBEO-2**

राज्य सरकार, आयुक्त (स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्), राज्य परियोजना निदेशक (समसा), प्रारम्भिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/ सीमेट/ SCERT/ संयुक्त निदेशक JD/ CDEO/ DPC द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।

❖ मासिक बैठक (Monthly meeting) –

➢ **By ACBEO-2**

ब्लॉक के समस्त PEEO एवं माध्य/ उमावि के संस्थाप्रधानों की मासिक बैठक का आयोजन करवाना।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

शैक्षिक समाचार

CBEO cum BRCF

- **सहयोग एवं समन्वयन (Co-operation and Co-ordination) –**
- **By BEEO cum ACBEO-1**

ब्लॉक के समस्त **Schools** के विकास एवं विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु अन्य विभागों यथा– पंचायतीराज, ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक, विद्युत वितरण आदि से समन्वय स्थापित कर सहयोग प्राप्त करना।

- **By ACBEO-2**

ब्लॉक के समस्त **Schools** के विकास हेतु भामाशाह, औद्योगिक इकाईयों, जनप्रतिनिधियों, दानदाताओं से मुख्यमंत्री जन सहभागिता (सीएसआर) में योगदान प्राप्त करना।

- **विद्यालय नामकरण (School Name) –**

राजकीय विद्यालयों के नामकरण हेतु प्रस्ताव **CDEO** को प्रेषित करेंगे।

- **निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTI 2009) -**

RTI 2009 के अर्न्तगत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क प्रवेश संबधी समस्त कार्य करना।

- **निरीक्षण (Inspection) -**

By ACBEO-2

ब्लॉक के **ALL PEEO OFFICE and Sec/ Sr.Sec School** का 4 माह में कम से कम एक बार (वर्ष में तीन बार) निरीक्षण करेंगें। दिशानिर्देश बाद में जारी किए जाएगें।

ब्लॉक में स्थित **KGBV/ Other Residential School/ sharde Hostel/ other departmentle hostel/ Model school/ School for Special needy students** का दो माह में कम से कम एक बार निरीक्षण करना। अवलोकन रिपोर्ट तैयार करना।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

CBEO cum BRCF

3. ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी (BRCF)

BRCF के दायित्वों का निर्वहन करेंगें। ब्लॉक में समग्र शिक्षा अभियान समसा के तहत संचालित समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। राज्य सरकार, आयुक्त (स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्), राज्य परियोजना निदेशक (समसा), क्प्ब द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।

4. कार्य आवंटन (Work Distribution)

ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में पदस्थापितमें समग्र शिक्षा अभियान समसा के तहत संचालित समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। राज्य सरकार, आयुक्त (स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्), राज्य परियोजना निदेशक (समसा), **DPC** द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

BEEO cum ACBEO -1

कार्य एवं दायित्व (Job and responsibility)

संस्थापन कार्य (Establishment work):-

1. संस्थापन (Establishment):-

प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजन) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 02.10.2018 के अनुसरण में ब्लॉक के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के संस्थापन कार्य (पीईईओ को आवंटित कार्यों को छोड़कर) यथावत पंचायत समिति कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए संपादित करेंगे।

2. निजी निक्षेप (PD Account)

ब्लॉक के निजी निक्षेप खाता मद के पदों पर कार्यरत शिक्षकों/कार्मिकों के वेतन आहरण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.12.2017 एवं निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

3. वेतन, सेवाभिलेख, अवकाश (Salary, Service documents, Leave)

राज्य सरकार के दिनांक 11.04.2017 के अनुसार पीईईओ के अधीन प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों को छोड़कर शेष समस्त प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों (प्राथ/उ.प्राथ) में कार्यरत शिक्षकों एवं कार्मिकों के वेतन, सेवाभिलेखों के संधारण, अवकाश स्वीकृति आदि कार्यों का निष्पादन करेंगे।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

BEEO cum ACBEO -1

शैक्षणिक गुणवता, उन्नयन एवं अन्य (Educational work):-

1. छात्रवृति (Scholarship)

ब्लॉक के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को देय समस्त छात्रवृतियों के प्रस्ताव पीईईओ/संस्थाप्रधानों से प्राप्त कर भुगतान हेतु डीइओ (मुख्यालय) प्राशि. को प्रेषित करेंगें।

3. विभिन्न कार्य संपादन एवं समन्वयन

निम्नांकित विभिन्न कार्यो का संम्पादन, निर्धारित लक्ष्यानुसार एवं निर्देशानुसार विद्यालयों का निरीक्षण से संबंधित कार्यो को करेंगें।

- पूर्व प्राथमिक शिक्षा
- आंगनबाड़ी समन्वयन
- एसआईक्यूई
- प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा
- प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाणपत्र परीक्षा
- उपचारात्मक शिक्षण
- मिड–डे मील / अन्नपूर्णा दुध योजना
- राजकीय प्राथमिक/उ.प्राथमिक एवं निजी विद्यालयों की सूचना
- उक्त कार्यों के संबंध में शालादर्पण/ शाला दर्शन, निजी विद्यालय पोर्टल तथा अन्य राजकीय पोर्टल पर आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि एवं अपडेशन तथा कार्यक्रम प्रगति की रिर्पोट का अग्रेषण।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

BEEO cum ACBEO -1

4. निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रभारी–

ब्लॉक के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त कार्य यथा– प्रवेश प्रमाणीकरण, भोतिक सत्यापन, फीस पुनर्भरण, शिकायतों की जांच, समस्या समाधान आदि से सम्बंधित कार्यों के प्रभारी होगें।

5. निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण प्रभारी–

ब्लॉक के समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु निशुल्क पाठ्य पुस्तकों को संबधित विद्यालय में पीईईओ के माध्यम से वितरित करने का कार्य करेंगे।

6. उत्कृष्ट विद्यालय के प्रभारी–

ब्लॉक में उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

7. प्रारम्भिक शिक्षा की विभागीय योजनाओं के प्रभारी–

ब्लॉक क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा से संबंधित विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन सीबीईओ के निर्देशन में करेंगे

8. संस्थाप्रधान मासिक बैठक प्रभारी अधिकारी–

ब्लॉक के समस्त पीईईओ एवं माध्य/उमा के संस्थाप्रधानों की मासिक बैठक हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे।

9. प्राथमिक एव उ. प्राथमिक विद्यालयों के अवलोकन एवं निरीक्षण के प्रभारी अधिकारी–

ब्लॉक के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अवलोकन एवं निरीक्षण से संबंधित प्रकरणों की पत्रावलियों के संधारण, परीक्षण एवं निस्तारण हेतु प्रभारी अधिकारी होंगें।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

BEEO cum ACBEO -1

समग्र शिक्षा अभियान के कार्य (SMASA work):-

गतिविधि एवं कार्यक्रम का संचालन एवं पर्यवेक्षण

ब्लॉक में निम्नांकित गतिविधियों का संचालन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे–

- बालिका शिक्षा से संबंधित गतिविधियों
- आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों से संबंधित गतिविधियों
- समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों के प्रशिक्षण/कार्यशालाओं, शैक्षणिक गुणवता संबंधी शोध/मूल्यांकन कार्यों के आयोजन से संबंधित गतिविधियों
- एसआईक्यूई कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियों
- कक्षा 6 से 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियों
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु संचालित शैक्षिक एवं सहशैक्षिक से संबंधित गतिविधियों
- गुणवता शिक्षा से संबधित कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियों

उपर्युक्त आवंटित कार्यों के अतिरिक्त सीबीईओ पदेन बीआसीएफ द्वारा समय समय पर आंवटित कार्य संपादित किए जाऐंगे।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

ACBEO -II

कार्य एवं दायित्व (Job and responsibility)

संस्थापन कार्य (Establishment work):-

1. प्रभारी अधिकारी (Incharge Officer):-

- ब्लॉक एकीकृत शिक्षा संकुल पर होने वाले संस्थापन संबंधी प्रकरणों की पत्रावली का संधारण, परीक्षण एवं निस्तारण हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे। (बीईईओ कम एसीबीईओ प्रथम को आंवटित कार्य के अतिरिक्त)
- सीबीईओ के कार्यालयाध्यक्ष एवं डीडीओ के कार्य सम्पादन से संबंधित प्रकरणों की पत्रावलियों का संधारण, परीक्षण एवं निस्तारण के प्रभारी अधिकारी होगे।
- ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल के स्तर पर निस्तारित होने वाले ब्लॉक के माध्यमिक एवं उमा विद्यालयों के शिक्षकों एवं कार्मिकों के संस्थापन, पेंशन संबंधी प्रकरणों की पत्रावलियों के संधारण परीक्षण एवं निस्तारण हेतु प्रभारी अधिकारी होगे।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

ACBEO -II

शैक्षणिक गुणवता, उन्नयन एवं अन्य (Educational work):-

1. छात्रवृति (Scholarship)

ब्लॉक के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को देय समस्त छात्रवृतियों के प्रस्ताव पीईईओ/संस्थाप्रधानों से प्राप्त कर भुगतान हेतु डीइओ (मुख्यालय) प्राशि. को प्रेषित करेंगें।

3. विभिन्न कार्य संपादन एवं समन्वयन

निम्नांकित विभिन्न कार्यो का संम्पादन, निर्धारित लक्ष्यानुसार एवं निर्देशानुसार विद्यालयों का निरीक्षण से संबंधित कार्यो को करेंगें।

- सूचना का अधिकार
- विधानसभा/ लोक सभा/ राज्य सभा/ ऑडिट पैरा संबंधी प्रश्नों
- विभिन्न आयोगों से प्राप्त बिन्दूओं पर सूचना/टिप्पणी प्रेषण
- न्यायालय प्रकरण
- चोरी एवं गबन के प्रकरण
- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा
- सार्वजनिक परीक्षा संबंधी कार्य
- निर्धारित लक्ष्यों एवं निर्देशानुसार विद्यालयों का निरीक्षण
- उक्त कार्यों के संबंध में शालादर्पण/ शाला दर्शन, निजी विद्यालय पोर्टल तथा अन्य राजकीय पोर्टल पर आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि एवं अपडेशन तथा कार्यक्रम प्रगति की रिर्पोट का अग्रेषण।

ACBEO -II

4. निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रभारी–

ब्लॉक के समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त कार्य यथा– प्रवेश प्रमाणीकरण, भोतिक सत्यापन, फीस पुनर्भरण, शिकायतों की जांच, समस्या समाधान आदि से सम्बंधित कार्यों के प्रभारी होगें।

5. निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण प्रभारी–

ब्लॉक के समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु निशुल्क पाठ्य पुस्तकों को संबधित विद्यालय में पीईईओ के माध्यम से वितरित करने का कार्य करेंगे।

6. नामांकन के प्रभारी–

ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में नामांकन वृद्धि अनामांकित एवं ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के सर्वे एवं संबधित गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी होंगे।

7. माध्यमिक शिक्षा की विभागीय योजनाओं के प्रभारी–

ब्लॉक क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन सीबीईओ के निर्देशन में करेंगे

8. आदर्श विद्यालय योजना के प्रभारी–

ब्लॉक में आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

9. माध्यमिक एव उ. माध्यमिक विद्यालयों के अवलोकन एवं निरीक्षण के प्रभारी अधिकारी–

ब्लॉक के प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं पीईईओ के अवलोकन एवं निरीक्षण से संबंधित प्रकरणों की पत्रावलियों के संधारण, परीक्षण एवं निस्तारण हेतु प्रभारी अधिकारी होगें।

ACBEO -II

समग्र शिक्षा अभियान के कार्य (SMASA work):-

गतिविधि एवं कार्यक्रम का संचालन एवं पर्यवेक्षण

ब्लॉक में निम्नांकित गतिविधियों का संचालन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे–

- तृतीय श्रेणी अध्यापकों के अतिरिक्त अन्य शिक्षकों/कार्मिकों/अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के आयोजन एवं पर्यवेक्षण से संबंधित कार्य।
- व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित गतिविधियों
- कक्षा 6 से 12 हेतु संचालित डिजीटल शिक्षा कार्यक्रम यथा– कल्प, स्मार्ट क्लास, आईसीटी एवं अन्य आईटी संबंधित गतिविधियों के संचालन एव पर्यवेक्षण का कार्य।
- समस्त विद्यालयों में आधारभूत संरचना विकास निर्माण एवं विकास संबंधी कार्य।
- समस्त विद्यालयों में स्वच्छता संबंधी कार्याक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी कार्य।
- ब्लॉक में संचालित स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालयों के सुचारू संचालन प्रबन्धन तथा पर्यवेक्षण से संबंधित कार्यों को संपादित करेंगे।
- ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता एवं यू–डाइस से संबंधित गतिविधियों के आयोजन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

उपर्युक्त आवंटित कार्यों के अतिरिक्त सीबीईओ पदेन बीआसीएफ द्वारा समय समय पर आंवटित कार्य संपादित किए जाऐंगे।

THANK
YOU

वंदे
मातरम